अध्याय XXI : पर्यटन मंत्रालय

डा. अम्बेडकर होटल प्रबंध खान-पान व्यवस्था एवं पौषाहार संस्थान

21.1 विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान

विभागीय प्रभारों हेतु सीपीडब्ल्यूडी दर के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 61.46 लाख के अधिक भुगतान हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक की धारा 12.1 के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य तथा उन स्वायत्त निकायों के जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, हेतु किसी विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं किया जाता है। अन्य निर्माण कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमपुस्तक में निर्धारित विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण[1] किया जाता है।

डा.अम्बेडकर होटल प्रबंधन खान-पान व्यवस्था एवं पौषाहार संस्थान (संस्थान) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत निकाय है। संस्थान पूंजीगत निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करता है जबकि दिन प्रतिदिन के व्ययों को इसके स्वंय के संसाधनों द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित विभागीय प्रभारों का संस्थान द्वारा लिए गए निर्माण कार्य पर उद्ग्रहण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने ₹ 9.91 करोड़ पर एक अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की (जनवरी 2010)। लागत अनुमान की संवीक्षा से पता चला कि इस कार्य के कार्यकारी अभिकरण अर्थात् अभियांत्रिकी विभाग, यूटी चण्डीगढ़ ने सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक में अनुमानित सात प्रतिशत के प्रति 14.30 प्रतिशत पर विभागीय प्रभार लगाए थे। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 61.46 लाख[2] के विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

---

[1] ₹ 200 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु अनुमानित लागत के 12 प्रतिशत, ₹ 200 लाख तथा ₹ 500 लाख के बीच की लागत के निर्माण कार्यों हेतु आठ प्रतिशत तथा ₹ 500 लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु सात प्रतिशत पर विभागीय प्रभार।

[2] अनुमानित लागत: ₹ 841.89 लाख (बी) 14.30 प्रतिशत पर विभागीय प्रभार: ₹ 120.39 लाख (सी) 7 प्रतिशत पर विभागीय प्रभार: ₹ 58.93 लाख (डी) अधिक भुगतान: ₹ 120.39 लाख-₹ 58.93 लाख = ₹ 61.46 लाख।

संस्थान ने बताया (अप्रैल 2017) कि मामले को अभियांत्रिकी विभाग यूटी चण्डीगढ़ के साथ उठाया गया है।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

नई दिल्ली
दिनांक: 23 फरवरी 2018

(ममता कुन्द्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 मार्च 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक